

नवभारत

2

माता वैष्णो देवी धाम में चांदी घोटाला

4

कौन होगा गोल्डन बूट का हकदार ?

9

अंतिम चरण में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता

11

सात्विक-चिराम ने मैच छोड़ा, सिंधु दूसरे राउंड में

एक नजर में



टेक-होम राशन की जिम्मेदारी आजीविका मिशन से वापस ली

- महिला बाल विकास विभाग के जिम्मे होगी व्यवस्था
- स्व सहायता समूह से होगी पूरक पोषण की सप्लाई

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 14 जुलाई. आंगनवाड़ी में आने वाले 6 माह से तीन साल के नौनिहालों को मिलने वाले टेक-होम राशन की व्यवस्था एक बार फिर बदल गई है. अब तक राशन बनाने से लेकर सप्लाई तक की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को इससे अलग कर दिया गया है. अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह विभाग की होगी.

विभाग फिलहाल स्व सहायता समूह के माध्यम से ही राशन बनाने से लेकर सप्लाई तक करने का इंतजाम करेगा. पिछले तीन माह से भी अधिक समय से टेक होम राशन मिलना बंद था, अब आगेले सप्ताह से फिर नौनिहालों को पौष्टिक राशन मिलना शुरू हो सकता है.

मंगलवार को कैबिनेट ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है. ये व्यवस्था भी अंतिम होगी. अंतरिम व्यवस्था तत्काल प्रारंभ किए जाने के साथ ही भारत सरकार के नए दिशा निर्देश जारी होने एवं नवीन निर्देश अनुसार



व्यवस्था स्थापित होने तक के लिए टेक होम राशन की व्यवस्था, अल्प कालीन निविदा के माध्यम से किए जाने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है. भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश जारी होने के बाद विभाग स्थायी व्यवस्था स्थापित करेगा, जो स्व सहायता

दरअसल आजीविका मिशन स्व सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन तो तैयार कर रहा था, लेकिन इसका फायदा समूहों को नहीं मिल रहा था. मिशन का तर्क था कि उसे लगातार घाटा हो रहा है, क्योंकि प्रति हितग्राही केंद्र सरकार अभी 8 रुपए दे रही है, वहीं खर्च लगभग 10 रुपए तक है. ऐसे में मिशन का तर्क है कि उसे प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ रुपए तक नुकसान हो रहा है.

समूह अब तक राशन बना रहे थे, वे आगे भी यह काम करेंगे. आंगनवाड़ी केंद्रों तक राशन तैयार कर भेजा जाएगा. अब स्व सहायता समूह के लिए भी राशन तैयार करने के नए नियम बनेंगे, जिससे कि गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो.

(श्रेष पेज 12 पर)

► विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ की स्वीकृति

कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग के तहत पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण से संबंधित योजना के आगामी 5 वर्षों तक संचालन के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. पालिका अधिनियम के तहत मुद्रांक शुल्क के साथ म.प्र. नगर पालिका/नगर निगम अतिरिक्त शुल्क के रूप में उद्गीत की गई राशि को नगरीय विकास विभाग को अंतरित किया जाता है. वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय संचालन के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. आगामी 5 वर्षों की अवधि यानि वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए कुल राशि 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

शाह की 40 मिनट तक योगी से बातचीत

नई दिल्ली 14 जुलाई. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई.

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली स्थित केंद्रव्य भवन पहुंचे और वहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.



हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के विषयों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. राजनीतिक गलियारों में

इस बैठक को उत्तर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों और आगामी राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है. (श्रेष पेज 12 पर)

कॉन्स्टेबल भाटी ने किया सुसाइड

मनीष पत्नी का मर्डर कर हो गया था फरार

नई दिल्ली, 14 जुलाई. दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे कॉन्स्टेबल मनीष भाटी ने खुद को गोली मार ली. पुलिस को मंगलवार शाम को मनीष भाटी का शव ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार के पास एक पार्क में मिला.

ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में पत्नी की हत्या करने के बाद वो फरार चल रहा था. आरोपी ने पत्नी को जन्मदिन पर गोली मार दी थी. मनीष और उसकी पत्नी प्रियंका के मध्य बीच सड़क पर तीखी बहस शुरू हो गई थी. प्रियंका

कथित तौर पर परेशान थी, क्योंकि उसके पति ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी जिससे बहस शुरू हो गई और इसके बाद गोलीबारी की घटना हुई. पुलिस के अनुसार, प्रियंका और उसके पति घर पर बहस के बाद सोमवार तड़के दोपहिया वाहन पर अपने न्यू विनोद नगर स्थित आवास से एक साथ निकले. उसने अपनी पत्नी की छाती में गोली मार दी और उसे सड़क किनारे खून से लथपथ छोड़कर मौके से भाग गया. उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गुस्ताखी माफ



खुलासा साइबर ठगों ने 21.06 करोड़ खपा दिए 20 हजार ट्रांजेक्शन से

कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हैं ये हजारों बैंक खाते

नवभारत न्यूज ग्वालियर, 14 जुलाई. मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य निवाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय से हुई 21 करोड़ 6 लाख रुपए की साइबर ठगी ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है.

अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों ने इस पूरी रकम को चार लेयर में 20 हजार से ज्यादा बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए कन्याकुमारी



से कश्मीर तक फैले हजारों बैंक खातों में खपा दिया. जांच में सामने आए 99 फर्स्ट लेयर बैंक अकाउंट अब साइबर टीम के

रडार पर हैं. पुलिस ने अब तक करीब 2 करोड़ रुपए फ्रीज कराए हैं. जांच में पता चला है कि ठगों ने रकम को एक-दो शहरों तक सीमित नहीं रखा. पैसा कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से कोलकाता तक फैले हजारों बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया. इसके बाद रकम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आगे भेजा गया ताकि जांच एजेंसियों के लिए उसकी ट्रेल पकड़ना मुश्किल हो

जटिल फोर-लेयर बैंकिंग नेटवर्क का हुआ इस्तेमाल साइबर टीम की नजर उन बड़े बैंक अकाउंट पर है जिनमें मोटी रकम ट्रांसफर की गई है. सायबर एक्सपर्ट्स और जांच अधिकारियों के अनुसार, ठगों ने इस पूरी राशि को पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए एक जटिल फोर-लेयर बैंकिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया. पिछले 7 महीनों के दौरान पीड़ित के खाते से निकले पैसों को 20 हजार से अधिक छोटे-बड़े ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए देश भर में घुमाया गया.

जाए. ठगों ने इस 21 करोड़ रुपए की हड़पने के लिए एक दो शहर नहीं बल्कि पूरे देश के बैंकों का उपयोग किया. चेन्नई से

लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर कोलकाता तक हजारों बैंक खातों में ट्रांजेक्शन किए गए.

भोजशाला में नमाज पर रोक बरकरार

- भोजशाला के बाहर नमाज के लिए जगह दें : सुको
- शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच दें स्थान

नव भारत न्यूज इंदौर/धार. धार की भोजशाला कमाल मौला परिसर विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी.



शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष के लिए भोजशाला परिसर के समीप

नमाज अदा करने हेतु वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए. सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भोजशाला परिसर के भीतर शुक्रवार की नमाज की अनुमति समाप्त कर दी गई थी. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मामले को संवेदनशील बताते हुए फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि नमाज के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था अंतरिम होगी और मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी.

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में भोजशाला परिसर के भीतर शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को परिसर के बाहर वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मंगलवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे फिलहाल वही व्यवस्था प्रभावी रहेगी.

हाफिज सईद के खिलाफ गैरजमानती वारंट

पहलगाम हमला

- एनआईए ने कहा- जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी
- आतंकी साजिश की जांच में आगे बढ़ी कार्रवाई



नई दिल्ली, 14 जुलाई. पहलगाम आतंकी हमले की जांच के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. हाफिज सईद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक बताया जाता है और भारत में कई आतंकी

जा रहा है. जांच एजेंसी इससे पहले भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में कई आरोपियों और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है. हाफिज सईद पर भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे हैं। अदालत का यह आदेश ऐसे समय आया है, जब सुरक्षा एजेंसियां आतंकी घटनाओं के पीछे काम करने वाले नेटवर्क और उनके सहयोगियों की पहचान करने में जुटी हैं. एनआईए मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी.

ज्ञानवापी प्रकरण में मध्यस्थता पर नहीं बनी सहमति

वाराणसी, 14 जुलाई . ज्ञानवापी: श्रृंगार गौरी प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में जज मुकुल पांडेय के समक्ष हुई सुनवाई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी.

मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा पहले ही मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के समाधान से इनकार किए जाने के बाद हिंदू पक्ष ने भी इस प्रक्रिया पर अपनी असहमति

जता दी. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने मध्यस्थता केंद्र में कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उनके लिए मध्यस्थता बाध्यकारी नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. इसके जवाब में हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर पर अतिक्रमण है और परिसर को मुक्त किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके.

सीसीटीवी में देखे गए दो आतंकी

संभावित ठिकानों की जांच की जा रही अभियान के दौरान संभावित ठिकानों और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां इलाके में किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. फिलहाल सुरक्षाबलों की कई टीमों अलग-अलग क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रही हैं. अभियान के दौरान स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जांच जारी है.

सेना ने संयुक्त सर्वे ऑपरेशन शुरू किया है. सीसीटीवी फुटेज से मिले इनपुट के बाद पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेना की टीमों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी. सुरक्षा बलों ने संदिग्धों की तलाश के लिए

थनामंडी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में जांच तेज कर दी है. सुरक्षा बलों द्वारा भंगाई, हासप्लोट, कार्याट, कोपरा टॉप और आसपास के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

3 करोड़ की चोरी का अनुमान : कोषाध्यक्ष

राम मंदिर केस

आरोपी लवकुश का मकान सील करने की तैयारी

बीआईपी पास रह, वेबसाइट से हटाए दो नाम

अयोध्या, उत्तर प्रदेश, 14 जुलाई. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि ने कहा है कि उनके अनुमान के मुताबिक करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई होगी. उन्होंने यह बयान पुणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान

दिया. हालांकि, 14 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी होने की चर्चा पर उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी. इधर, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चर्खा कर दिया है. अब एडीए ने 15 जुलाई तक जवाब देने का अंतिम मौका दिया है. जवाब नहीं मिलने पर मकान को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी

इस्तीफा नहीं दूंगा : गिरि

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज ने स्पष्ट किया है कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे. पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि निगरानी व्यवस्था में कुछ चूक अवश्य हुई है, लेकिन वह स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते.

रामशंकर यादव उर्फ टिट्टू और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है.